इंफो इंडिया

पोर्ट ब्लेयर से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र

मैं ईर्ष्यालु प्रवृति वाली इंसान नही : प्रियंका

अनुष्का से फिर रोमांस करेंगे रणवीर सिंह

2 ■ संख्या-41 ■ पृष्ठ-4 ■ पोर्ट ब्लेयर, सोमवार, 28 अक्टूबर, 2013 ■ Phone: (03192) 230260/230230 ■ Fax : 03192 234325 ■ E-mail : infoindiahindi2012@gmail.com

सचिव (विधि) का निजी अनुभाग
Personnel Section of Secretary (Law)
प्रा.प्र.सं. /R D No. 7644
दिनांक /Date 29/10/13

Diary No: 2806
Date: 1.11.13

मु.स. का गोपनीय अनुभाग
CS's Confidential Cell
प्रा.प्रे. सं./RD No. 6764
दिनांक/Date 29/10/2013

आधिवासी लड़कियों के अश्लील वीडियो वितरण का मामला

विशेष जांच दल का गठन

पोर्ट ब्लेयर, 27 अक्टूबर। अंडमान तथा निकोबार पुलिस ने शनिवार को केंद्रीय अपराध केंद्र (सी सी एस) पुलिस थाने में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 292 के खण्ड 67 ए के सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम 2008 के तहत अपराध संख्या 702/13 के अनुसार शहर में आदिवासी बालिकाओं के अश्लील विडियो के लेन-देन/ वितरण/ प्रसार के मसले पर एक सामान्य अपराधिक मामला दर्ज किया। सी आई डी के पुलिस अधीक्षक द्वारा 'इंफो' को भेजी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि क़ानूनी प्रावधानों के अनुसार मामले में जाँच की ज़िम्मेदारी सी आई डी के उप-पुलिस अधीक्षक को सौंपी गयी है।

24 अक्टूबर को 'पीपल्स व्यू' नामक एक साप्ताहिक अख़बार ने एक खबर प्रकाशित की थी कि पोर्ट ब्लेयर में कुछ बदमाश तत्वों द्वारा द्वीपसमूह तथा द्वीपवासियों को बदनाम करने के नापाक इरादे से आदिवासी बालिकाओं के अश्लील विडियो का वितरण किया जा रहा है। प्रकाशित रिपोर्ट पर गम्भीरता से संज्ञान लेते हुए उप-राज्यपाल ने शनिवार को हुई एक विशेष बैठक में मुख्य सचिव तथा पुलिस महानिदेशक को सच्चाई से पर्दा हटाने तथा संदिग्धों को क़ानून की गिरफ़्त में लाने के लिए अपने सभी संसाधनों का इस्तेमाल करने के निर्देश जारी किये।

JRO
3/11/13

CS
SS (Home)
Secy (TW)
Dir (TW)
28/10

38